४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला.....सहरसा....., सं0..... 86....., सन् .....2024.....

केस का प्रकार... आँगनबाड़ी पुनरीक्षण .....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
17/03/2025		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या–86/2024

सुधा देवी.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य एवं अन्य.....प्रतिवादी

–:: आदेश ::–

यह आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद सुधा देवी पति– कन्हैया साह, साकिन–झाड़ा, पंचायत–झाड़ा, वार्ड नबंर–06 थाना वो प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 04/2017 में दिनांक– 07.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। जिसके द्वारा सहरसा जिला के बाल विकास परियोजना, महिषी अन्तर्गत ग्राम पंचायत–झाड़ा स्थित वार्ड न0–03 के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–154 (मिनी) हेतु आंगनबाड़ी सेविका के चयन से संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के आदेश (08.05.2017) को निरस्त करते हुए वादी के चयन को रद्द कर दिया गया है।

वादी का कथन है कि महिषी परियोजना अन्तर्गत झाड़ा पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–154 (मिनी) हरिजन टोला, वार्ड संख्या–03, में सेविका पद पर चयन हेतु दिनांक–28.11.2013 को वार्ड सदस्य (वार्ड संख्या–03) की अध्यक्षता में आम सभा किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर की उपस्थिति में चयन समिति के द्वारा पोषक क्षेत्र की अभ्यर्थी राधा कुमारी का चयन किया गया। आम सभा में वादी के द्वारा उक्त चयन के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करायी गई कि विपक्षी राधा कुमारी के भैसुर (पति के सहोदर भाई) जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी डीलर हैं। जिस कारण वे मार्गदर्शिका की कंडिका 4.10 के अनुसार चयन की अर्हता को पूरा नहीं करती हैं। किंतु वादी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विपक्षी का नियम के विरूद्ध चयन कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष आंगनबाड़ी वाद संख्या–04/2016–17 (सुधा देवी बनाम राज्य एवं श्रीमती राधा कुमारी वगैरह) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–08.05.2017 को आदेश पारित करते हुए विभागीय मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका–4.10 एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के ज्ञापांक–2897, दिनांक–10.06.2013 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण विपक्षी श्रीमती राधा कुमारी को चयन मुक्त करते हुए उक्त केन्द्र के सेविका के पद पर वादी का चयन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के

विरूद्ध विपक्षी राधा कुमारी (पति दिनेश पासवान) के द्वारा न्यायालय जिला पदाधिकारी, सहरसा में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्सा-04/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-07.06.2024 को पारित आदेश द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विपक्षी राधा कुमारी के चयन को सही माना गया। अपीलार्थी का कहना है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य को सही पाया गया कि आपूर्ति अपील वाद संख्या-105/2011-12 श्री विजय पासवान (विपक्षी के भैसुर) बनाम राज्य में दिनांक-30.09.2013 को श्री पासवान के अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किये जाने का आदेश पारित किया गया था, किंतु आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन के समय दिनांक-28.11.2013 को श्री विजय पासवान (विपक्षी के भैंसुर) की डीलर अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के समक्ष प्रक्रियाधीन बताते हुए आदेश पारित किया गया है। जो कानूनी प्रक्रिया का गलत Interpretation है। वादी का कहना है कि चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 4.10 के आलोक में विपक्षी का चयन मार्गदर्शिका के नियमों के विरूद्ध है। तदालोक में वादी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश को निरस्त करते हुए सेविका के पद पर वादी को पुर्नवहाल करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी राधा कुमारी, पति-दिनेश पासवान का पक्ष रखते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया की दिनांक-28.11.2013 को आम सभा द्वारा राधा कुमारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के ज्ञापांक-831 दिनांक-06.12.2013 से उन्हें चयन पत्र निर्गत किया गया। उनका कहना है कि विपक्षी के आवेदन की तिथि से लेकर उनके द्वारा सेविका के पद पर योगदान की तिथि दिनांक-06.12.2013 तक उनके भैसुर (पति के सहोदर बड़े भाई) श्री विजय पासवान की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या-378/07 रद्द था। इस प्रकार चयन की प्रक्रिया के समय वे जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी डीलर नहीं थे। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक-29.12.2015 के द्वारा उनके भैंसुर की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक-07.06.2024 वैधानिक, उचित और न्यायसंगत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुना। तथा अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

Findings–

दिनांक 28.11.2013 को हुए आम सभा में विपक्षी राधा कुमारी के पति के सहोदर भाई (भैसुर) के जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञाप्तिधारी होने के संबंध में आपत्ति प्राप्त होने के बावजूद बिना आवश्यक जाँच पड़ताल किये चयन समिति द्वारा राधा कुमारी का ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन किया गया। Relevent तथ्य यह कि विपक्षी राधा कुमारी के भैसूर श्री विजय पासवान जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति धारी के रूप में वर्ष 1992 से कार्यरत थे। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के ज्ञापांक-1229 दिनांक-26.09.2011 द्वारा कतिपय आरोपो पर श्री विजय पासवान, ज0वि0प्र0 के अनुज्ञप्ति को रद्द् किया गया। इसके विरूद्ध श्री विजय पासवान द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आपूर्ति अपील वाद सं0-105/2011-12 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

R

दिनांक–30.09.2013 को पारित आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1229 दिनांक–26.09.2011 को निरस्त कर दिया गया।

आँगनबाड़ी सेविका के चयन पर दिनांक–28.11.2013 को आम सभा किया गया। अर्थात आम सभा (28.11.2013) की तिथि को विपक्षी राधा कुमारी के भैसुर श्री विजय पासवान की ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति बहाल थी। इसलिए विभागीय संगत प्रावधानों के तहत राधा कुमारी का चयन नियमानुकूल नहीं है। यह Established Rule है कि कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित होने की तिथि से प्रभावी होता है। आपूर्ति वाद संख्या–105/2011–12 में दिनांक 30.09.2013 को आदेश पारित होने के उपरांत श्री विजय पासवान का अनुज्ञप्ति रद्द मानना कानूनी रूप से सही नहीं है। प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त Legal Principle को Over look करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त **Findings** (On Facts and Legal Points) के आधार पर निम्न न्यायालय जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को आदेश दिया जाता है सभी अनुवर्ती कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

17/3/25.

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/25.

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।